

सं. 5-18(01)/2023-पीएटी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

1120, संचार भवन,

20-अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 03/11/2023

परिपत्र सं.: 216

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना- 1980- 01.10.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियाँ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)/ई-V/2023 दिनांक 25.10.2023 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

पिकास

(विकास)

सहायक महानिदेशक (पी.ए.टी)

दूरभाष: 23036245

प्रति:

1. सचिव(दूरसंचार) के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य(सेवाएं)/सदस्य(वित्त)/सदस्य(प्रौद्योगिकी)के प्रधान निजी सचिव।
3. महानिदेशक दूरसंचार /सीजीसीए के प्रधान निजी सचिव।
4. अपर सचिव(दूरसंचार) के प्रधान निजी सचिव।
5. सभी सलाहकार /डीजी(एनटीआईपीआरआईटी)/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(टीईसी)/एनसीसीएस।
6. अध्यक्ष, ट्राई।
7. एल.एस.ए. /सी.सी.ए. के सभी प्रमुख।
8. बीएसएनएल/एमटीएनएल/टीसीआईएल/आईटीआई के अध्यक्ष व प्रबंध महानिदेशक।
9. कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट /निदेशक, डबल्यू.एम.ओ., नई दिल्ली।
10. दूरसंचार विभाग के सभी उप-महानिदेशक / निदेशक।
11. वेतन एवं लेखा विभाग कार्यालय और सभी संबंधित अनुभाग, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
12. अनुभाग अधिकारी (वेतन बिल), दूरसंचार विभाग मुख्यालय, संचार भवन।

No. 5-18(01)/2023-PAT
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications

1120, Sanchar Bhawan,
20-Ashoka Road, New Delhi-110001
Dated: 03/11/2023

CIRCULAR NO. 216

Sub.: Central Government Employees Group Insurance Scheme– 1980– Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01/10/2023 to 31/12/2023 – reg.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 7(1)/EV/2023 dated 25.10.2023 on the subject cited above for information and necessary action.

Encl.: As above


(Vikas)
Asstt. Director General (PAT)
Phone: 23036245

Copy to:

1. PPS to Secretary (Telecom.).
2. PPS to Member(S)/Member(F)/Member(T).
3. PPS to Director General, Telecom/CGCA.
4. PPS to Additional Secretary(T).
5. All Advisors/DG(NTIPRIT)/Sr.DDG(TEC)/(NCCS).
6. The Chairman, TRAI.
7. All Heads of L.S.As/C.C.As.
8. CMD, BSNL/MTNL/TCIL/BBNL/ITI.
9. Executive Director, C-DOT/Dir., MO, New Delhi.
10. All DDGs/Directors of DoT.
11. PAO and all the concerned Sections, DoT, New Delhi.
12. SO (Pay Bill), DoT, Hq., Sanchar Bhavan, New Delhi.

No. 7(1)/EV/2023
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E-V Branch

New Delhi, the 25th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 - Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.10.2023 to 31.12.2023.

The Tables of Benefits for Savings Fund to the beneficiaries under the Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980, which are being issued on a quarterly basis from 01.01.2017 onwards, as brought out in this Ministry's OM of even number dated 17.03.2017, for the quarter from **01.10.2023 to 31.12.2023**, as worked out by IRDA based on the interest rate of 7.1% per annum (compounded quarterly) as notified by the Department of Economic Affairs as per their Resolution No. 5(3)-B(PD)/2023 dated 04.10.2023, are enclosed.

2. The Tables enclosed are of two categories as per the existing practice. As hitherto, the first Table of Benefits for the savings fund of the scheme is based on the subscription of Rs.10 p.m. from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 p.m. w.e.f. 1.1.1990 onwards. The second Table of Benefits for savings fund is based on a subscription of Rs.10 p.m. for those employees who had opted out of the revised rate of subscription w.e.f. 1.1.1990.

3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these Orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

4. Hindi version of these orders is attached.



(B. K. Manthan)

Deputy Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Department of the Central Government as per standard list.
2. Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Government etc. as per standard list.

सं. 7(1)/ई-V/2023

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई-V शाखा

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 - 01.10.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियां।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 04.10.2023 के अपने संकल्प सं.5(3)-बी(पीडी)/2023 के तहत यथा-अधिसूचित 7.1% की वार्षिक ब्याज दर (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.10.2023 से 31.12.2023 की तिमाही के लिए तैयार की गई लाभार्थियों हेतु बचत निधि के लाभों की सारणियां, जो इस मंत्रालय के 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।

2. विद्यमान पद्धति के अनुसार संलग्न सारणियां दो श्रेणियों की हैं। जैसा कि अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिन्होंने 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

बी.के. मंथन

(बी.के. मंथन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक सूची के अनुसार।
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को मानक सूची के अनुसार सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रेषित।

